

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कड़िका 1.1)
राज्य की रूपरेखा
अ-सामान्य आंकड़े

क्र. स.	विवरण	आंकड़े (छत्तीसगढ़)
1	क्षेत्रफल (वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार)	1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011-2036 के अनुसार)	3.05 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (अखिल भारतीय घनत्व = 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	225.78 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	39.93 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	38 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2016-2020 में अखिल भारतीय औसत = 70.00)	65.10
8	जनसंख्या वृद्धि (2014-2024)	
	संपूर्ण भारत	11.26
	छत्तीसगढ़	14.06
9	वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2023-24	₹5,05,887 करोड़

(नोट: सामान्य डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन पर आधारित है)

ब-वित्तीय आंकड़े

विवरण		वर्ष 2014-15 से 2022-23		वर्ष 2022-23 से 2023-24	
सी.ए.जी.आर		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	10.67	11.97	8.19	10.26
ख	कर राजस्व का	11.34	13.33	13.50	18.00
ग	करेत्तर राजस्व का	8.46	15.16	14.64	(-)0.66
घ	कुल व्यय का	10.49	9.95	10.56	32.20
ङ	पूँजीगत व्यय का	9.99	9.29	26.16	15.76
च	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का	9.07	8.46	5.53	12.39
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय का	12.34	13.78	10.34	7.33
ज	मजदूरी एवं वेतन का	9.32	12.94	7.52	9.89
झ	पेंशन का	12.13	11.32	6.27	18.94

(नोट: वित्तीय आंकड़े राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित हैं और सामान्य श्रेणी के राज्यों का वित्तीय डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन से प्राप्त किया गया है।)

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ: कंडिका 1.5.2)
घाटा और आधिक्य

जब सरकार राजस्व के रूप में एकत्र की गई राशि से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने के लिए कई उपाय हैं।

राजस्व घाटा / आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)	राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। - जब सरकार राजस्व घाटा उठाती है, तो इसका मतलब है कि सरकार बचत नहीं कर रही है और अपने उपभोग व्यय के एक हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है। - राजस्व घाटे का होना चिंता का विषय है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों का एक हिस्सा राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया, जिससे पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजी संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई। - इस स्थिति का मतलब है कि सरकार को न केवल अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए बल्कि अपनी उपभोग आवश्यकताओं के लिए भी उधार लेना होगा। इससे ऋण और ब्याज देनदारियों का भार बढ़ता है और अंततः सरकार को व्यय में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। - यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियाँ, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका मतलब होगा कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य (कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियाँ))	यह राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों (एनडीसीआर) तथा कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। - राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। - गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को जन्म नहीं देती हैं। उदाहरण हैं ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय। - राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई संपत्तियाँ आय का स्रोत बनकर खुद का भुगतान कर सकें। इस प्रकार, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई धनराशि का पूर्ण उपयोग करना और मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछनीय है।

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23	2023—24
भाग क—प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	63,869(76)	63,176(74)	79,652(84)	93,877(90)	1,03,508(66)
(i) स्वयं के कर राजस्व	22,118(35)	22,889(36)	27,083(34)	33,122(35)	38,786(37)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3,931(18)	4,236(19)	5,341(20)	6,450(19)	6,514(17)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,952(22)	4,636(20)	5,107(19)	6,783(21)	8,430(22)
वाहन कर	1,275(06)	1,148(05)	1,373(05)	1,757(05)	2,048(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,635(07)	1,585(07)	1,945(07)	2,229(07)	2,494(6)
भू-राजस्व	552(02)	938(04)	950(04)	869(03)	848(2)
माल एवं यात्री कर	41(0)	80(0)	48(0)	60(0)	73(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,895(36)	7,925(35)	9,483(35)	11,298(34)	13,793(36)
अन्य कर	1,838(09)	2,341(10)	2,836(10)	3,677(11)	4,586(12)
(ii) करेतर राजस्व	7,934(12)	7,137(11)	13,851(17)	15,248(16)	15,148(15)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	20,206(32)	20,338(32)	28,571(36)	32,358(35)	38,482(37)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	13,611(21)	12,812(20)	10,146(13)	13,148(14)	11,092(11)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	04	05	05	06	05
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	257	105	88	118	25
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.13	—0.67	—0.04	—0.28	0.65
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	64,130	63,286	79,745	94,001	1,03,539
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,588(23)	21,581(25)	15,098(16)	10,639(10)	54,050(34)
आंतरिक ऋण ¹ (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	19,308	17,961	9,322	6,939	50,259
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	279	3,620	5,776	3,700	3,791
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	83,718	84,867	94,843	1,04,640	1,57,589
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	05	00	00	00	63
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	89,910	81,446	87,016	98,368	1,25,393
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,73,633	1,66,313	1,81,859	2,03,008	2,83,045
भाग ख: व्यय/भुगतान					
10. राजस्व व्यय	73,477(89)	70,033(89)	75,010(88)	85,285(86)	1,14,741(88)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	19,095(26)	19,586(28)	21,375(28)	22,825(27)	26,240(23)
समाजिक सेवायें	26,653(36)	25,066(35)	27,964(37)	31,818(37)	39,412(34)
आर्थिक सेवायें	26,609(36)	24,255(35)	24,558(33)	29,499(35)	47,791(42)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,120(02)	1,125(02)	1,113(01)	1,143(01)	1,298(01)

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
11. पूँजीगत व्यय	8,566(10)	9,024(11)	10,504(12)	13,320(14)	15,419(12)
सामान्य सेवायें	194(02)	508(06)	351(03)	754(06)	884(06)
समाजिक सेवायें	1,912(22)	2,935(33)	3,234(31)	4,989(37)	7,074(46)
आर्थिक सेवायें	6,460(76)	5,581(62)	6,919(66)	7,577(57)	7,461(48)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	56	51	324	86	312
12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.05	0.01	(-)0.25	(-)0.10	0.46
13. योग (10+11+12+12(अ))	82,100	79,108	85,838	98,691	1,30,472
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,696	8,020	8,845	9,600	24,113
आंतरिक ऋण	8,480(98)	7,805(97)	8,626(98)	9,370(98)	23,873(99)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	216(02)	215(03)	220(02)	230(02)	240(01)
15. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14)	90,796	87,128	94,683	1,08,292	1,54,585
16. आकस्मिकता निधि से भुगतान	00	00	00	00	77
17. लोक लेखे से भुगतान	83,719	81,120	86,716	96,599	1,22,634
18. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (15+16+17)	1,74,515	1,68,248	1,81,399	2,04,891	2,77,296
भाग ग: घाटे					
19. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(-)9,609	(-)6,857	(+)4,642	(+)8,592	(-)11,233
20. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-)17,970	(-)15,822	(-)6,093	(-)4,691	(-)26,933
21. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)12,999	(-)10,189	(+)51	(+)1,691	(-)20,135
भाग घ: अन्य आंकड़े					
22. ब्याज भुगतान	4,971	5,633	6,144	6,382	6,798
23. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	36	30	38	15	99
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	36	30	38	15	99
ओवर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	00	00	00	00	00
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	00	00	01	00	22
25. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887
26. वर्षान्त पर देयतायें²	78,712	92,666	99,173	1,01,696	1,34,179
27. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटियां)	18,459	19,836	19,500	22,099	21,891
28. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि	27,995	26,695	29,948	30,023	31,663

² वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के लिए बकाया देयता में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (2020-21 में प्राप्त ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में प्राप्त ₹4,965.15 करोड़) शामिल है, जो राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में प्रदान किया गया है, जिसकी राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2)

वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0761-कन्या शिक्षा परिसर	27.28	0.00	27.28	24.97
2	1206-ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी	1.50	0.00	1.50	1.27
3	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	40.76	0.00	40.76	28.31
4	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	1.20
5	3777-रेशम उत्पादन उद्योग का विकास कार्य	1.37	0.00	1.37	1.36
6	3778-मलबरी रेशम उत्पादन योजना का कार्यान्वयन	53.70	0.00	53.70	37.35
7	4663-स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.17	0.00	0.17	0.17
8	4691-कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	5.80	0.00	5.80	4.59
9	4858-इंदिरा नगर योजना	95.76	43.98	139.74	127.44
10	5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	24.72	0.00	24.72	16.70
11	5534-स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.50	0.00	1.50	1.50
12	5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	73.44	0.00	73.44	66.77
13	5560-राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र	3.11	0.00	3.11	1.75
14	5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	1.93	0.00	1.93	1.66
15	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	38.00	0.00	38.00	36.37
16	6388-नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	20.30	0.00	20.30	13.15
17	6640-महिला हेल्पलाइन 181	0.55	0.35	0.90	0.75
18	6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	14.63	5.12	19.75	8.82
19	6647-शक्ति सदन	3.39	0.00	3.39	1.65
20	6648-महिला सशक्तिकरण केंद्र	10.62	0.00	10.62	4.44
21	6649-सखी निवास	1.37	0.00	1.37	0.41
22	6650-नारी अदालत	0.15	0.00	0.15	0.00
23	6691-कौशल्य समृद्धि (महिला स्वरोजगार) योजना	25.00	0.00	25.00	0.00
24	7330-मितानिन कल्याण निधि	111.00	240.00	351.00	351.00
25	7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	78.98	0.00	78.98	76.97
26	7361-सबला योजना	85.11	0.00	85.11	59.85
27	7435-पोषण	55.70	0.00	55.70	59.20
28	7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	494.50	211.95	706.45	611.52
29	7588-मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता	0.05	0.00	0.05	0.00
30	7875-सुचिता योजना	12.00	0.00	12.00	10.91
31	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना	61.23	32.63	93.86	48.77
32	7921-मुख्य मंत्री पेंशन योजना	250.30	40.00	290.30	373.18
33	8977-असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	16.90	0.00	16.90	3.05
34	8989-ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	27.40	0.00	27.40	20.65
35	9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	3.00	0.00	3.00	0.00
36	9369-महिला जागृति शिविर	9.33	0.00	9.33	19.20
37	7048-महतारी वंदन योजना	0.00	1,200	1,200	1,319.20
योग		1,652.55	1,774.03	3,426.58	3,334.15

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ-कंडिका-3.3.3)

वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0436-विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.05
2	0717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	288.62	1.84	290.46	241.55
3	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	2.00	0.00	2.00	2.46
4	1190-ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता	2.80	0.00	2.80	2.65
5	1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.61
6	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	40.76	0.00	40.76	28.31
7	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	1.20
8	4699-अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति	1.20	0.00	1.20	1.06
9	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	3.75	0.00	3.75	2.78
10	5260-नस्ल सुधार के लिए बैल का वितरण	0.75	0.00	0.75	0.73
11	5428-राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	1.00	0.00	1.00	1.00
12	5429-युवा कल्याण गतिविधि	6.19	0.00	6.19	1.77
13	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	38.00	0.00	38.00	36.37
14	5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना	0.55	0.00	0.55	0.55
15	5672-बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना	6.25	0.00	6.25	2.58
16	6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.00
17	6386-मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	954.28	45.20	999.48	724.64
18	6388- नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	20.30	0.00	20.30	13.15
19	6408-राज्य युवा मितान क्लब	100.00	20.00	120.00	80.02
20	6409-मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	2.72	0.00	2.72	0.00
21	6425-मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	2.01	0.00	2.01	0.00
22	6435-विशेष उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री सहायता	0.01	0.00	0.01	0.00
23	6436-मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना	0.75	0.00	0.75	0.00
24	6696-मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	1.00	0.00	1.00	0.07
25	7296-खेल अकादमी	6.13	0.00	6.13	1.65
26	7361-सबाला योजना	85.11	0.00	85.11	59.85
27	7363-युवा कैरियर विकास योजना	12.85	0.00	12.85	8.56
28	7366-सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.23	0.00	0.23	0.03
29	7430-शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा	0.60	0.00	0.60	0.60
30	7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	55.70	0.00	55.70	59.20
31	7490- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	494.50	211.95	706.45	611.52
32	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	9.80	0.00	9.80	5.07
33	7632-युवा क्षमता विकास योजना	0.80	0.00	0.80	0.10
34	7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	25.00	0.00	25.00	24.60
35	7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.29	0.00	7.29	6.39
36	7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	4.14	0.00	4.14	0.00
37	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	61.23	32.63	93.86	48.77
38	8076-राज्य के बाहर औद्योगिक और तकनीकी संस्थान	0.07	0.00	0.07	0.02
39	8638-राज्य प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना	3.00	0.00	3.00	3.00
40	8643-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	5.00	0.00	5.00	2.70
41	8899-पशु धन मित्र योजना	3.30	0.00	3.30	3.27

42	8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	7.00	0.00	7.00	6.98
43	8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	0.00	3.01	2.30
44	8935-लाइवलीहुड कॉलेज परियोजना	13.90	0.00	13.90	7.30
45	8977-छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	16.90	0.00	16.90	3.05
46	8979-एकीकृत अम्बेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	125.00	0.00	125.00	121.94
47	8989-छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	27.40	0.00	27.40	20.65
48	9369-महिला जागृति शिविर	9.33	0.00	9.33	19.20
49	9381-बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.04
50	9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	1.00	0.00	1.00	0.98
योग		2,454.83	311.62	2,766.45	2,159.31

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कडिका-3.3.7)

नई उप-शीर्षो/योजनाओं का विवरण (प्रत्येक प्रकरणों में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6657- विस्तृत हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (एसएचडीसी)	1.78	0.00	1.78	0.00
2	6658- डाईंग यूनिट (धागा रंगाई) की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
3	6659- प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
4	6660- राज्य अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
5	6674- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	5.00	0.00	5.00	0.00
6	6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	16.00	16.00	0.00
7	6684- विश्व बैंक परियोजना चाक	400.00	0.00	400.00	0.00
8	6690- राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	1.00	0.00	1.00	0.00
9	6691- कौशल्या समृद्धि (महिला स्वरोजगार) योजना	25.00	0.00	25.00	0.00
10	6694- दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में सचल चिकित्सा इकाई की स्थापना	5.00	0.00	5.00	0.00
11	6695- नगरीय निकायों में वर्षा जल संचयन	25.00	0.00	25.00	0.00
12	7021- छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक जुड़ाव	1.00	0.00	1.00	0.00
13	7022- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान	1.00	0.00	1.00	0.00
14	7024- स्मार्ट पी.डी.एस.	0.00	1.97	1.97	0.00
15	7041- मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना	0.00	5.00	5.00	0.00
16	7047- स्मार्ट एग्री बिजनेस सेंटर	0.00	2.00	2.00	0.00
17	7063- अटल निगरानी पोर्टल (सी.एम. डैशबोर्ड)	0.00	5.00	5.00	0.00
18	7064- प्रधानमंत्री जन मन सड़कों का निर्माण	0.00	200.00	200.00	0.00
19	7103- नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह वाचन क्षेत्र का निर्माण	0.00	20.00	20.00	0.00
योग		467.78	249.97	717.75	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.5.3)

प्रकरणों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (एक करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
03	पुलिस	6,152.11	172.95	5,384.31	-767.80
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	330.78	15.66	285.67	-45.11
10	वन	2,670.90	33.12	2,243.40	-427.50
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	439.91	70.60	293.50	-146.41
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	129.03	1.00	107.62	-21.41
19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,103.19	596.63	2,924.12	-179.07
20	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	340.91	6.00	223.41	-117.50
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	236.76	3.96	199.66	-37.10
23	जल संसाधन विभाग	663.93	3.00	511.47	-152.46
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	105.01	1.52	75.58	-29.43
27	स्कूल शिक्षा	6,759.51	7.14	5,938.98	-820.53
28	राज्य विधानमंडल	78.78	1.63	59.05	-19.74
34	समाज कल्याण	107.07	8.00	93.14	-13.93
36	परिवहन	112.84	3.60	73.45	-39.39
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,024.55	93.33	2,655.86	-368.69
43	खेल और युवा कल्याण	110.91	11.17	77.54	-33.37
44	उच्च शिक्षा	915.19	17.27	806.32	-108.87
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति योजना विभाग	498.60	176.24	397.96	-100.64
67	लोक निर्माण - भवन	752.75	34.00	643.59	-109.17
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	1,143.25	431.12	1,102.26	-40.98
71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी	131.83	5.04	56.47	-75.36
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,239.39	1.00	905.83	-333.56
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2,057.59	162.61	1,873.95	-183.64
82	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	208.18	3.00	182.09	-26.09
योग-राजस्व दत्तमत		31,312.97	1,859.60	27,115.24	-4,197.73
राजस्व (भारित)					
CH2	व्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,684.36	78.07	6,471.18	-213.18
पूँजीगत (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन	130.37	27.73	125.80	-4.57
03	पुलिस	249.58	1.20	163.51	-86.07
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	9.10	1.90	3.31	-5.79
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	154.82	19.00	63.62	-91.20
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	7.71	1.00	1.65	-6.06

19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	104.52	33.98	95.59	-8.94
23	जल संसाधन विभाग	590.10	5.00	412.65	-177.44
24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	2,153.85	60.00	1,673.26	-480.59
27	स्कूल शिक्षा	579.47	166.00	334.65	-244.82
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	348.97	17.13	278.67	-70.30
41	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,788.68	1,271.05	3,250.83	-537.85
42	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना सड़कों और पुलों से संबंधित सार्वजनिक कार्य	1,247.70	33.00	858.39	-389.31
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	68.68	1.09	56.07	-12.60
54	कृषि अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित व्यय	79.59	10.00	51.95	-27.64
56	ग्रामोद्योग	10.09	20.00	4.32	-5.77
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	55.62	201.40	0.00	-55.62
71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	15.00	4.78	0.00	-15.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	335.09	32.79	275.55	-59.54
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,053.68	250.00	918.82	-134.86
योग-पूँजीगत दत्तमत		10,982.61	2,157.05	8,568.64	-2,413.97
पूँजीगत (भारित)					
24	लोक निर्माण- सड़कें और पुल	10.10	1.00	4.66	-5.44
कुल योग		48,990.04	4,095.72	42,159.72	-6,830.32

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ-कड़िका-3.5.3)

योजना प्रमुखों का विवरण जहां संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक) अप्रयुक्त रह गए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	07- 2040- 1-7042- बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट	0.00	1.00	1.00	0.00
2	13- 2401- 109- 101- 7047- स्मार्ट एग्री बिजनेस सेंटर	0.00	2.00	2.00	0.00
3	19- 2210- 1-196- 101- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	4.00	4.00	0.00
4	19- 2210- 3-197-101- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	4.00	4.00	0.00
5	19- 2210- 3-198- 101- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	3.00	3.00	0.00
6	24- 5054- 80-800- 101- 1833- डिजिटल राशि का भुगतान	0.10	1.00	1.10	0.00
7	39- 2408- 1-102- 701- 6401- राइस फोर्टिफिकेशन	37.50	37.84	75.34	0.00
8	41- 2210- 1- 796- 196- 102- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	2.00	2.00	0.00
9	41- 2210- 3- 796- 197- 102- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	2.00	2.00	0.00
10	41- 2210- 3- 796- 198- 102- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	1.00	1.00	0.00
11	41- 2217- 80- 796- 191- 702- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	17.73	17.73	0.00
12	41- 2217- 80- 796- 191- 705- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	15.07	15.07	0.00
13	41- 2217- 80- 796- 192- 702- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	5.60	5.60	0.00

14	41- 2217- 80- 796- 192- 705- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	4.76	4.76	0.00
15	41- 2217- 80- 796- 193- 702- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	23.32	23.32	0.00
16	41- 2217- 80- 796- 193- 705- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	19.83	19.83	0.00
17	41- 2408- 1- 796- 102- 702- 6401- राइस फोर्टिफिकेशन	28.50	28.76	57.26	0.00
18	41- 4217- 60- 796- 51- 102- 7103 - नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह पठन क्षेत्र का निर्माण	0.00	10.00	10.00	0.00
19	41- 4217- 60- 796- 51- 702- 7706- अमृत मिशन	6.59	42.41	49.00	0.00
20	41- 4217- 60- 796- 51- 705- 7706- अमृत मिशन	8.60	14.77	23.37	0.00
21	41- 4851-796- 101- 102- 5385- नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	0.50	5.00	5.50	0.00
22	41- 5054- 4- 796- 337- 702- 7064- पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	0.00	120.00	120.00	0.00
23	41- 5054- 4- 796- 337- 705- 7064- पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	0.00	80.00	80.00	0.00
24	41- 5275-796- 101- 102- 7861- संचार क्रांति योजना	0.00	3.63	3.63	0.00
25	44-2202-3-103-101-7041-मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना	0.00	5.00	5.00	0.00
26	55- 4235- 2-102- 1301- 6429 - 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुदान प्राप्त हुआ	0.00	39.00	39.00	0.00
27	64- 2217- 80- 789- 191- 703- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	4.94	4.94	0.00
28	64- 2217- 80- 789- 191- 706- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	4.20	4.20	0.00
29	64- 2217- 80- 789- 192- 703- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	1.56	1.56	0.00
30	64- 2217- 80- 789- 192- 706- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	1.33	1.33	0.00
31	64- 2217- 80- 789- 193- 703- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	6.50	6.50	0.00
32	64- 2217- 80- 789- 193- 706- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	5.53	5.53	0.00
33	64- 2408- 1- 789- 102- 703- 6401- राइस फोर्टिफिकेशन	9.00	9.08	18.08	0.00
34	64- 4217- 60- 789- 51- 103- 7103 - नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह वाचन क्षेत्र का निर्माण	0.00	3.00	3.00	0.00
35	64- 4217- 60- 789- 51- 703- 7706- अमृत मिशन	3.95	25.44	29.39	0.00
36	64- 4217- 60- 789- 51- 706- 7706- अमृत मिशन	5.16	8.86	14.02	0.00
37	64- 5275-789- 101- 103- 7861- संचार क्रांति योजना	0.00	1.15	1.15	0.00
38	69- 2217- 80-191- 701- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	6.39	6.39	0.00
39	69- 2217- 80-191- 704- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	5.43	5.43	0.00
40	69- 2217- 80-192- 701- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	2.02	2.02	0.00
41	69- 2217- 80-192- 704- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	1.72	1.72	0.00

42	69- 2217- 80-193- 701- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	8.41	8.41	0.00
43	69- 2217- 80-193- 704- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	7.15	7.15	0.00
44	69- 4217- 60-51- 101- 7103 नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह वाचन क्षेत्र का निर्माण	0.00	7.00	7.00	0.00
45	69- 4217- 60-51- 701- 7706- अमृत मिशन	22.39	144.19	166.58	0.00
46	69- 4217- 60-51- 704- 7706- अमृत मिशन	29.23	50.22	79.45	0.00
47	71- 3275- 800- 101- 7063- अटल मॉनिटरिंग पोर्टल (सीएम डैशबोर्ड)	0.00	5.00	5.00	0.00
48	71- 5275- 101- 101- 7861- संचार क्रांति योजना	0.00	4.78	4.78	0.00
योग		151.52	806.61	958.13	0.00

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कांडिका-3.5.6)

वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों की सूची जहां शुद्ध बचत हुई (बचत ₹10 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-)	समर्पण	शुद्ध बचत
राजस्व (दत्तमत)								
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	351.40	0.00	351.40	227.06	-124.34	104.11	-20.23
03	पुलिस	6,152.11	172.95	6,325.06	5,384.31	-940.75	892.82	-47.92
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,526.73	0.60	1,527.33	1,327.04	-200.30	130.59	-69.71
27	स्कूल शिक्षा	6,759.51	7.14	6,766.64	5,938.98	-827.66	805.54	-22.12
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	498.60	176.24	674.84	397.96	-276.88	108.45	-168.43
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6,492.70	3,269.08	9,761.78	8,470.68	-1,291.10	1,277.56	-13.54
67	लोक निर्माण-भवन	752.75	34.00	786.75	643.59	-143.17	54.83	-88.33
योग		22,533.80	3,660.01	26,193.81	22,389.61	-3,804.20	3,373.91	-430.29
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,788.68	1,271.05	5,059.73	3,250.83	-1,808.90	1,796.66	-12.23
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	797.18	0.00	797.18	507.02	-290.16	267.57	-22.59
योग		4,585.86	1,271.05	5,856.91	3,757.85	-2,099.06	2,064.23	-34.82
कुल योग		27,119.66	4,931.06	32,050.72	26,147.46	-5,903.25	5,438.14	-465.12

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखों में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

क्र. सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए	स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए
1	01-सामान्य प्रशासन	51	16	7	9
2	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	16	6	3	3
3	03-पुलिस	52	24	15	9
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	27	8	3	5
5	05-जेल	5	4	3	1
6	06-वित्त विभाग	57	21	4	17
7	07-वाणिज्य कर विभाग	33	10	4	6
8	08-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	48	17	10	7
9	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	7	4	4	0
10	10-वन	91	35	18	17
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	35	16	1	15
12	12-ऊर्जा	50	7	6	1
13	13-कृषि	116	64	61	3
14	14-पशुपालन विभाग	54	20	1	19
15	15-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	25	5	2	3
16	16-मत्स्य पालन	19	4	2	2
17	17-सहकारिता	19	7	7	0
18	18-श्रम	20	10	7	3
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	87	47	0	47
20	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	63	25	21	4
21	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग	28	18	16	2
22	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	4	2	2	0
23	23-जल संसाधन विभाग	134	49	44	5
24	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	53	36	23	13
25	25-खनिज संसाधन विभाग	16	8	7	1
26	26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्च	34	8	4	4
27	27-स्कूल शिक्षा	88	45	39	6
28	28-राज्य विधायिका	9	6	3	3
29	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	36	18	8	10
30	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	59	26	18	8
31	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	9	6	6	0
32	32-जनसंपर्क विभाग	16	4	4	0
33	33-आदिम जाति कल्याण	18	14	10	4
34	34-सामाजिक कल्याण	50	7	7	0

35	35-पुर्नवास	3	2	1	1
36	36-यातायात	19	13	5	8
37	37-पर्यटन	14	10	10	0
38	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	39	16	13	3
39	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	673	252	168	84
40	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	26	15	11	4
41	43-खेल एवं युवा कल्याण	24	10	9	1
42	44-उच्च शिक्षा	40	18	12	6
43	45-लघु सिंचाई कार्य	18	7	5	2
44	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	8	5	5	0
45	47-तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	44	22	11	11
46	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2	1	0	1
47	50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1	1	1	0
48	51-धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	11	5	4	1
49	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों के वित्तीय सहायता	26	3	3	0
50	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	16	8	6	2
51	55-महिला एवं बाल कल्याण	89	44	22	22
52	56-ग्रामीण उद्योग	44	7	3	4
53	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	12	4	4	0
54	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	64	29	26	3
55	60-जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	2	2	0	2
56	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	529	158	118	40
57	65-विमानन विभाग	3	3	3	0
58	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	31	11	6	5
59	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	199	45	23	22
60	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	33	8	8	0
61	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	74	44	44	0
62	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	36	17	16	1
63	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	21	19	18	1
64	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	9	9	8	1
65	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग	55	25	8	17
66	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	57	17	15	2
67	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	107	23	23	0
68	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	29	7	5	2

69	83-अनुसूचित जनजातियो उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	35	3	2	1
70	CH1 – लोक ऋण	22	6	0	6
71	CH2 – ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	91	24	10	14
	योग	3,935	1,490	996	494

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कंडिका-3.5.8)

वर्ष 2000-01 से 2022-23 तक के लिए नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000-01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	
2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	1,20,23,29,36 और लोक ऋण	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	0.92

	3 विनियोग	06,55 एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	11.46
2017-18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	0.37
2018-19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	0.48
2019-20	3 अनुदान	06,33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6,036.62
2020-21	2 अनुदान	06 और 83	252.24
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	3,179.87
2021-22	2 अनुदान	06 और 51	590.41
	3 विनियोग	06, 55 और लोक ऋण	3,469.35
2022-23	1 अनुदान	06	41.77
	2 विनियोग	55 और लोक ऋण	3,588.83
योग			21,066.99

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कडिका-3.5.8)

वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य व्यय हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय
1	04	2013	मंत्रिपरिषद्	4.08	6.57	2.49
2	06	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,406.81	9,111.08	1,704.26
3	06	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.20	1.58	1.38
4	13	2402	मृदा और जल संरक्षण	131.67	199.86	68.19
5	15	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	39.46	40.22	0.76
6	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2.30	2.77	0.47
7	21	6217	शहरी विकास के लिए लोन	134.50	195.90	61.40
8	29	2014	न्याय प्रशासन	542.23	549.74	7.51
9	41	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	22.37	26.25	3.88
10	64	2402	मृदा और जल संरक्षण	17.76	37.13	19.37
11	67	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	17.01	18.10	1.09
12	67	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.56	5.73	0.17
13	CH1	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	7,318.63	23,873.11	16,554.48
14	CH1	6004	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	223.29	239.85	16.56
योग				15,865.87	34,307.89	18,442.01

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कड़िका 4.3)

31 मार्च 2024 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2235	राजस्व	2020-21	04	0.04
		2021-22	18	0.20
		2022-23	54	0.31
		2023-24	142	0.79
2235	सामान्य प्रशासन	2021-22	01	0.10
2203	मानव शक्ति नियोजन	2022-23	01	2.00
योग			220	3.44

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कड़िका 4.11)

मार्च 2024 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	जब से खाता लंबित है	वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लंबित खातों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग	2023-24	1
2.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2023-24	1
3.	छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग	2001-02 से 2023-24	23
4.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर	2020-21, 2021-22,	4
5.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम	2022-23, 2023-24	2
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर	2019-20 से 2021-22	4
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग	2020-21 से 2023-24	3
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव	2021-22 से 2023-24	5
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा	2023-24	1
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर	2013-14 से 2017-18, 2019-20 से 2020-21, 2021-22 से 2023-24	10
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	निरंक	0
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी	2023-24	1
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2019-20 से 2023-24	5
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा (अंबिकापुर)	2020-21 से 2023-24	4
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर	2019-20 से 2023-24	5
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा	2018-19 से 2023-24	6
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया (बैकुंठपुर)	2018-19 से 2023-24	6
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर	2023-24	1
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्तर (जगदलपुर)	2022-23 से 2023-24	2
20.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली	2023-24	1
21.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदा बाजार	2017-18 से 2023-24	7
22.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौंडागांव	2018-19 से 2023-24	6
23.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा	2021-22 से 2023-24	3
24.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़	2021-22 से 2023-24	3

25.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद	2023-24	1
26.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा	2023-24	1
27.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद	2021-22 से 2023-24	3
28.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2021-22 से 2023-24	3
29.	छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रायपुर	2023-24	1

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.12)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हुई हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में
विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(रु.लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उच्च शिक्षा	11	10.42	3	0.62	2	2.51	16	13.55
2.	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
3.	जिला प्रशासन	1	0.67	4	0.79	0	0.00	5	1.46
4.	ग्रामीण विकास	4	1.08	2	0.05	14	16.70	20	17.83
5.	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
6.	विद्यालय शिक्षा	20	12.81	19	156.26	18	47.52	57	216.60
7.	पुलिस	29	8.21	5	19.45	262	48.65	296	76.31
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	0.15	1	0.10	8	1.00	11	1.26
9.	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	8	1.37	2	0.18	12	2.05
10.	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.80	1	0.10	213	21.33	222	23.23
11.	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
12.	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0.00	2	0.32	3	3.82
13.	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0.00	2	0.22
14.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.38	1	0.38
15.	विधि एवं विधायी विभाग	4	0.21	1	7.79	0	0.00	5	7.99
16.	श्रम एवं रोजगार	13	3.91	0	0.00	10	51.71	23	55.61
17.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	2	39.59	3	0.15	5	39.65
18.	फसल-कृषि कर्म	0	0.00	0	0.00	3	0.49	3	0.49
19.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	5	20.61	7	1.10	15	22.85
20.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	4	0.77	9	34.84	5	10.29	18	45.90
21.	वन	3	5.76	0	0.00	949	949.03	952	954.74

22.	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	470	10045.10	472	10045.34
23.	जल संसाधन विभाग	5	1.19	0	0.00	18	688.49	23	689.68
24.	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
25.	कलेक्टर	0	0.00	1	0.08	1	0.30	2	0.38
26.	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	0	0.00	0	0.00	2	0.18	2	0.18
27.	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
28.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
29.	राज्य उत्पाद शुल्क	1	0.03	0	0.00	0	0.00	1	0.03
30.	राजकोष एवं लेखा प्रशासन	3	0.20	0	0.00	3	11.81	6	12.01
योग		119	53.60	64	567.74	1,998	11,902.65	2,181	12,523.99

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: कंडिका 4.12)

शासन को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण
(31 मार्च 2024 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						
		05 वर्षों तक	06 से 10 वर्ष	11 से 15 वर्ष	16 से 20 वर्ष	21 से 25 वर्ष	25 वर्ष से ऊपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	-	5 (1.80)	2 (6.47)	4 (4.43)	2 (0.24)	3 (0.61)	16 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	-	1 (0.00)	-	-	-	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	-	-	-	2(0.40)	1(0.67)	2(0.39)	5 (1.46)
4	ग्रामीण विकास	-	2 (0.21)	1 (0.50)	1 (0.25)	4 (1.66)	12 (15.21)	20 (17.83)
5	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	-	1 (1.00)	-	1 (0.00)	-	-	2 (1.00)
6	विद्यालय शिक्षा	-	7 (121.47)	2 (44.31)	7 (13.49)	3 (17.76)	38 (19.56)	57 (216.60)
7	पुलिस	129 (28.63)	85 (5.71)	52 (12.79)	16 (1.04)	7 (11.21)	7 (16.93)	296 (76.31)
8	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	11 (1.26)	11 (1.26)
9	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	-	-	-	3 (0.98)	-	9 (1.07)	12 (2.05)
10	पशु चिकित्सा सेवा	51 (3.25)	45 (8.50)	63 (5.95)	56 (3.01)	2 (1.84)	5 (0.69)	222 (23.23)
11	सहकारिता	-	-	-	-	-	1 (96.26)	1 (96.26)
12	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	-	-	3 (3.82)	3 (3.82)
13	डेयरी विकास	-	-	-	-	1 (0.20)	1 (0.02)	2 (0.22)

14	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	—	1 (0.37)	—	—	—	—	1 (0.37)
15	विधि एवं विधायी विभाग	—	1 (0.10)	2 (0.00)	1 (0.11)	1 (7.79)	—	5 (7.99)
16	श्रम एवं रोजगार	2 (1.02)	1 (0.15)	6 (47.70)	8 (6.06)	1 (0.27)	5 (0.42)	23 (55.61)
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1 (39.42)	—	—	2 (0.12)	—	2 (0.11)	5 (39.65)
18	फसल-कृषि कर्म	—	—	2 (0.16)	1 (0.33)	—	—	3 (0.49)
19	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	12 (3.10)	15 (22.85)
20	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	1 (0.38)	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.06)	5 (32.38)	9 (3.23)	18 (45.90)
21	वन	24 (22.16)	41 (91.44)	28 (34.77)	110 (147.76)	187 (386.56)	562 (272.05)	952 (954.74)
22	लोक निर्माण विभाग	2 (5.22)	39 (3331.39)	330 (6177.52)	101 (531.22)	—	—	472 (10,045.34)
23	जल संसाधन विभाग	4 (142.14)	9 (357.35)	5 (63.20)	5 (127.00)	—	—	23 (689.68)
24	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	—	1(0.05)	—	—	—	1(0.05)
25	कलेक्टर	—	—	—	—	—	2 (0.38)	2 (0.38)
26	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	1 (0.18)	1 (0.00)	—	—	—	—	2(0.18)
27	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
28	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	—	1 (4.00)	1 (0.41)	—	—	—	2 (4.41)
29	राज्य उत्पाद शुल्क	1 (0.03)	—	—	—	—	—	1 (0.03)
30	राजकोष एवं लेखा प्रशासन	—	—	—	2 (0.08)	—	4 (11.93)	6 (12.01)
योग		216 (242.42)	242 (3,923.65)	497 (6,403.67)	322 (855.92)	214 (460.57)	690 (637.76)	2,181 (12,523.99)